

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 102/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
वनाराम पुत्र जालाराम उम्र 67 वर्ष जाति जाट निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		1. ओमाराम पुत्र करनाराम उम्र 42 वर्ष 2. कदनोदेवी पत्नी करनाराम उम्र 55 वर्ष 3. दुदाराम पुत्र करनाराम उम्र 38 वर्ष 4. सांवलाराम पुत्र करनाराम उम्र 35 वर्ष जाति कलबी 5. गीता पत्नी चुनीलाल उम्र 50 वर्ष 6. जमनादेवी पत्नी गोरधनराम उम्र 55 वर्ष 7. भीखाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 40 वर्ष जाति देशान्तरी 8. लाछीदेवी पत्नी वीरमाराम उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 9. तहसीलदार सिणधरी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

- श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.03.2025

3
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 282, 283 रकबा 2.5969, 2.1034 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा संख्या 282, 283 रकबा 2.5969, 2.1034 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 282, 283 रकबा 2.5969, 2.1034 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा संख्या 282, 283 रकबा 2.5969, 2.1034 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया खेत खसरा संख्या 282, 283 रकबा 2.5969, 2.1034 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है।

उपरोक्त अधिकारी
सिणधरी

।दे कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 282, 283 रकबा 2.5969, 2.1034 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी